>

Title: Need to close the chemical industries in Nagda in Ujjain district, Madhya Pradesh posing serious threat to lives of the people.

श्री प्रेमचन्द गुड्डू (उज्जैन): मेरे संसदीय क्षेत्र अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य की नागदा तहसील में स्थित लेक्सेस एवं ग्रेसिम उद्योगों द्वारा नियमों का उल्लंघन कर मानव जीवन के साथ खिलवाड़ करने का सिलसिला जारी है। लेक्सेस एवं ग्रेसिम एक खतरनाक श्रेणी के उद्योग हैं। मैं इस संबंध में पूर्व में हुई अनियमितताओं के बारे में सदन को अवगत करा चुका हूं, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

मंगलवार, 30 अप्रैल, 2013 को लैक्सेस उद्योग से थायोनिल क्लोराइड गैस का रिसाव हुआ जिसमें करीब 200 लोग अस्पताल में उपचाराधीन है, आसपास के क्षेत्रों में रात को लोगों को सांस लेने में तकलीफ हुई, खांसी व उल्टियां होने लगी, स्थानीय नागरिक अपने घरों को छोड़ भागे और भोपाल त्रासदी जैसा कांड होने से बच गया। यदि इन उद्योगों पर लगाम नहीं लगाई गई तो वो दिन दूर नहीं जब देश के सामने एक महाविनाशकारी कांड सामने होगा। लैक्सेस उद्योग से गैस रिसाव की यह पहली घटना नहीं है अभी हाल में 21 मार्च, 2013 व 7 दिसम्बर, 2012 को भी गैस का रिसाव हुआ था, जिनके यहां शादियां थी उनको इसका आभास हुआ था, दहशत के मारे लोग अपने मुंह पर कपड़ा बांध कर कार्यक्रमों को छोड़ भागे थे। मैं 1 मई को पीड़ितों का हाल जानने अस्पताल पहुंचा। वहां नागरिकों ने रोते हुए मुझसे एक ही बात कही कि इन उद्योगों से हमें निजात दिलवाओं नहीं तो ये उद्योग हमारी पीढ़ियों तक को नष्ट कर देंगे। जब उन लोगों ने भावुक होकर मुझसे यह प्रश्न किया तो मेरे पास उनके इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं था।

इन उद्योगों से इतनी भयानक गैस निकलती है कि जिससे आंखें खराब होकर व्यक्ति अंधा हो जाता है तथा श्वास नली के द्वारा गैस को ग्रहण करने से मृत्यु भी हो सकती है। ग्रसिम उद्योग में एक श्रमिक की मृत्यु भी हो चुकी है, उस मृत्यु को एक दुर्घटना बताकर मामला रफा-दफा कर दिया गया था। 04 अक्तूबर, 2010 को उद्योग में ऐसिड लीक होने से दो मजदूर घायल भी हुए थे। इनसे निकलने वाले प्रदूषित पानी से किसानों की उपजाऊ जमीन बंजर बनती जा रही है। इन उद्योगों द्वारा प्रदूषित पानी को बोरिंग करके जमीन में ही डाला जा रहा है जिससे आसपास के क्षेत्र का पानी दूषित हो गया है, वहां का पानी पीने से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी फैल गई थी, जिसके कारण इस क्षेत्र के 12 व्यक्ति कैंसर से

पीड़ित पाए गए थे। अब स्थानीय नागरिक जमीन का पानी नहीं पी रहे हैं। प्रशासन ने बोरिंग पानी पीने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन दोनों उद्योगों में जो भी अनियमितताएं थीं उनको दिसम्बर, 2011 तक पूर्ण करने के निर्देश केन्द्रीय एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिए थे लेकिन उद्योग में सेफ्टी के उपाय आज दिनांक तक भी पूर्ण नहीं किए गए हैं।

भोपाल गैस त्रासदी होने से पहले लोगों ने प्रशासन को पत्र लिखे थे लेकिन उन्हें प्रशासन ने अनदेखा कर बहुत बड़े कांड को निमंत्रण दिया था। मुझे लैक्सेस और ग्रेसिम के अंदर उसी महाविनाश कांड की पुनरावृत्ति दोबारा नजर आ रही है। मेरा अनुरोध है कि इन दोनों उद्योगों का लाइसेंस तुंत प्रभाव से निरस्त किया जाना चाहिए ताकि जन-जीवन को बचाया जा सके।